



## \*टिप्पणी/NOTES

1. कृपया हर प्रकार के भुगतान के लिए अलग-अलग चालान का प्रयोग करें ।  
**Please use a separate challan for each type of payment.**
2. कृपया नोट करें कि आपका स्थायी लेखा संख्या दर्शाना अनिवार्य है ।  
Please note that quoting your Permanent Account Number (PAN) is mandatory.
3. कृपया नोट करें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 बी के अनुसार झूठा स्थायी लेखा संख्या दर्शाने पर 10000/- रूपये के दंड की व्यवस्था है ।  
Please note that quoting false PAN may attract a penalty of Rs. 10,000/- as per section 272B of I.T. Act, 1961.

कृपया इस चालान का प्रयोग पूर्व पृष्ठ पर दर्शायें करें ( भुगतान निर्देशन ) को जमा कराने के लिए करें । कृपया इस चालान का प्रयोग स्रोत पर काटे गए कर ( टी डी एस ) को जमा कराने के लिए नहीं करें ।

**PLEASE USE THIS CHALLAN FOR DEPOSITING TAXES (TYPES OF PAYMENT) MENTIONED OVERLEAF. KINDLY DO NOT USE THIS CHALLAN FOR DEPOSITING TAX DEDUCTION AT SOURCE (TDS)**

बैंक काउंटर छोड़ने से पहले जाँच करें कि आपके प्रतिपुर्ण पर बैंक शाखा द्वारा जारी पावती में बैंक की शाखा का नाम, बैंक का 7 अंक बी एस आर कोड, चालान जमा करने की तारीख ( दिन, माह, वर्ष ) तथा चालान क्रम संख्या की मोहर लगी है । कृपया इस प्रतिपुर्ण को अपने पास रखें तथा अपनी आय की विवरणी में उक्त पावती के ब्योरे का उल्लेख करें ।

**CHECK BEFORE LEAVING THE BANK COUNTER THAT THE ACKNOWLEDGEMENT STAMPED ON YOUR COUNTER FOIL BY THE BANK BRANCH BEARS THE NAME OF BANK BRANCH, THE 7 DIGIT BSR CODE OF THE BRANCH, THE DATE OF DEPOSIT OF CHALLAN (DD MM YY) AND THE CHALLAN SERIAL NO. PLEASE RETAIN THIS COUNTERFOIL AND MENTION THE ABOVE ACKNOWLEDGEMENT DETAILS IN YOUR RETURN OF INCOME.**